



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 634]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 20, 2009/चैत्र 30, 1931

No. 634]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 20, 2009/CHAITRA 30, 1931

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2009

का.आ. 976(अ).—पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) के खण्ड 3 और 3ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 7 जुलाई, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 655(अ) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामतः—

उपरोक्त अधिसूचना में, अनुसूची के पैराग्राफ (4) में, मौजूदा शर्तों के बाद निम्नलिखित शर्त जोड़ी जाएगी, नामतः—

“वशर्त निम्नलिखित पशुधन तथा पशुधन उत्पादों को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शमशाबाद, हैदराबाद के जरिए भी आयात किया जाएगा, नामतः—

- सामान नियमों के अंतर्गत यथा अनुमत्य सामान के साथ पालतू कुत्ता तथा पालतू बिल्ली;
- अनुसंधान तथा विकास उद्देश्यों के लिए प्रयोगशाला पशु जैसे चूहे, चूहिया तथा गुनिया सूअर;
- कुक्कुट के मूल जनक स्टॉक।”

2. यह अधिसूचना इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. 50-152/2008-एल डी टी (ए क्यू)]

अरविंद कौशल, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मुख्य अधिसूचना दिनांक 7 जुलाई, 2001 की सं. का.आ. 655(अ) के तहत प्रकाशित हुई थी तथा दिनांक 6 जून, 2005 का का.आ. 770(अ) और दिनांक 25 जुलाई, 2005 की सं. का.आ. 1044(अ) के तहत संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2009

S.O. 976(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 3 and 3A of the Live-stock Importation Act, 1898 (9 of 1898) the Central Government hereby further amends the notification of the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 655(E), dated the 7th July, 2001 namely :—

In the said notification, in the schedule, in the paragraph (4), after the existing provisos, the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided also that the following live-stock and live-stock products shall be imported through Rajiv Gandhi International Airport, Shamshabad, Hyderabad, namely :—

- Pet dog and pet Cat along with accompanied baggage as permitted under baggage rules;
- Laboratory animals such as rats, mice and guinea pig for Research and Development purposes;
- Grand Parent Stock of Poultry.”

2. This notification shall come into force from the date of its publication in Official Gazette.

[F. No. 50-152/2008-LDT(AQ)]

ARVIND KAUSHAL, Jt. Secy.

Foot Note : The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 655(E), dated the 7th July, 2001 and amended *vide* number S.O. 770(E), dated the 6th June, 2005 and *vide* number S.O. 1044(E), dated the 25th July, 2005.